चंडीगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 867-870)

14 फरवरी 2020

[आर. भानुमति और ए.एस. बोपन्ना, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 : मध्यस्थ द्वारा पंचाट - दावेदार- ठेकेदार और विपरीत पक्ष ने सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए एक समझौता किया और उस संबंध में मिट्टी का काम, अस्तर के पीछे जल निकासी और सीमेंट कंक्रीट अस्तर करने के लिए परियोजना की अनुमानित लागत रु० 31 लाख और कार्य के लिए अनुबंध राशि 59.86 लाख रुपये तय की गई थी - दावेदार ने इस आधार पर अतिरिक्त भुगतान की मांग उठाई कि निष्पादन के दौरान, नदी तटों के पुनर्निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा विभिन्न निर्णयों के कारण कार्य का दायरा काफी बढ़ गया था। निविदा आमंत्रित करने से पहले विभाग द्वारा गलत भूवैज्ञानिक डेटा अवलोकन के कारण उत्खनन के दौरान आने वाले स्तरों में परिवर्तन - अतिरिक्त भुगतान की मांग के कारण मध्यस्थ विवाद हुआ - मध्यस्थ ने दावा स्वीकार किया और 18% ब्याज के साथ पंचाट पारित किया - नियम बनाने के लिए न्यायालय के उप-न्यायाधीश के समक्ष पंचाट प्रस्तुत किया गया - विपक्षी ने आपत्ति दर्ज की कि पंचाट देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था - उप-न्यायाधीश ने दावा संख्या 1 को अस्वीकार करने और ब्याज को 12% प्रति वर्ष तक कम करने की सीमा तक आपत्ति स्वीकार कर ली और अन्य मामलों में पंचाट को 'न्यायालय का नियम' बना दिया गया था - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनुबंध समझौते के खंड 39 को ध्यान में रखते हुए दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें प्रावधान था कि ठेकेदार को काम जारी रखने के दौरान हर महीने कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में प्रदान करना होगा। ऐसे कार्य के मूल्य के साथ किए गए अतिरिक्त कार्य का विवरण दिखाने वाला रिटर्न और यदि विवरण इंगित नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने ऐसे रिटर्न में शामिल नहीं किए गए सभी दावों को माफ कर दिया है और उसे किसी भी दावे को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा। - उस प्रकाश में ऐसा दावा शामिल नहीं है चूंकि दावा अंततः मासिक विवरण में शामिल नहीं पाया गया था, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि अनुबंध की शर्तों की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था और मध्यस्थ के पंचाट को रद्द कर दिया गया था - उच्च न्यायालय ने भी अनुबंध के खंड 39 पर ध्यान दिया और दावा संख्या 1 को छोड़कर इसे अस्वीकार कर दिया - तत्काल अपील में, अपीलकर्ता- दावेदार द्वारा यह तर्क दिया गया

था कि काम की अनुसूची के नोट 6 जो अनुबंध का एक हिस्सा बनता है, बशर्ते कि काम की अतिरिक्त या अन्य वस्तुओं का भुगतान दर पर किया जाएगा निविदा के समय दरों की प्रासंगिक पंजाब सामान्य अनुसूची और स्वीकृत प्रीमियम के आधार पर गणना की गई - 31 लाख रुपये की अनुमानित लागत और 59.86 लाख रुपये की अनुबंध राशि के बीच का अंतर स्वीकृत प्रीमियम था जो समग्र के अनुरूप था। अतिरिक्त वस्तुओं/ मात्रा या किए गए कार्य की दरों की गणना के लिए कार्य पर 93.12% का प्रीमियम - जहां तक शेष दावों का सवाल है, 93.12% लागू होगा - यह तर्क दिया गया था कि जब अनुबंध समझौता मूल्य और अंतर के रूप में स्पष्ट होता है स्वीकृत प्रीमियम होने और प्रतिशत 93.12% पर स्पष्ट होने के कारण, पंचाट का निर्णय में कोई और कारण नहीं बताना घातक नहीं होगा - विपक्षी पक्ष (पंजाब राज्य), अनुबंध के खंड 63 का हवाला देता है जो संदर्भ प्रदान करता है विवादों की मध्यस्थता के लिए उक्त खंड में यह आवश्यकता निर्दिष्ट की गई है कि सभी पंचाट लिखित रूप में होंगे और 1 लाख और उससे अधिक के पंचाटों के मामले में, ऐसे पंचाट में दी गई राशि का कारण बताया जाएगा - आयोजित : अनुमानित लागत के मुकाबले अनुबंध राशि की मात्रा दावे को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकती है जैसा कि दावेदार द्वारा ई स्वीकृत प्रीमियम के लिए किया गया है। - दावा संख्या 8 दलदल भूमि पर किए गए कार्य से संबंधित है, जिसमें मिट्टी दलदली थी और कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी - मध्यस्थ ने उसी आधार पर उक्त कार्य के लिए राशि दर्शाने और कटौती करने के बाद 19.15 लाख रुपये दिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहमत दर खंड 39 एक विधि निर्धारित करता है, जिसके द्वारा हर महीने बयान में दावा प्रस्तुत किया जाना है। उक्त आवश्यकता को समझौते में रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अतिरिक्त कार्य वास्तव में किया गया है एवं दावा विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि दूर के बिंदु पर आधारहीन दावा न किया जाए जब यह निर्धारित करना संभव नहीं होगा - हालांकि खंड जी यह भी इंगित करता है कि यदि ऐसा दावा नहीं किया गया है, तो यह छूट देने के लिए होगा, ऐसी परिस्थिति में जहां दावा अंततः फोरम में रखा जाता है, जहां एक निर्णय किया जाता है और सामग्री के आधार पर यदि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि वास्तविक कार्य किया गया था और उस काम को उचित तरीके से पूरा करने के लिए ठेकेदार खर्च की गई अतिरिक्त राशि का हकदार है, यहाँ इस तरह के दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा कि अनुबंध में विशेष रूप से किए गए कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे सख्ती से इंगित नहीं किया गया था - जब तथ्य यह है कि जिस क्षेत्र में काम किया गया था वहाँ दलदल भूमि स्थित थी और अतिरिक्त सामग्री का उपयोग किया गया था, मामले के तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाते हुए दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि, अतिरिक्त वस्तु के लिए दावे की गणना 35.02% की समान दर पर प्रीमियम के साथ की जाएगी और सहमत दर से ऊपर और 93.12% पर नहीं - दावा संख्या 16 के संबंध आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है - इसके अलावा ब्याज दर के संबंध में समझौते के अभाव में दावा संख्या 18 के तहत मांगे गए ब्याज के संबंध में, मध्यस्थ द्वारा दिया गया ब्याज अधिक था और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे घटाकर 12% प्रति वर्ष करना उचित था - दावा संख्या 2, 3, 8 और 12 के तहत प्रस्तुत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए दावेदार निविदा प्रीमियम पर 35.02% की लागत के अंतर

की गणना करके दावा करने का हकदार है। - राशि की मात्रा पर पहुंचने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेशित तरीके से वही 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय होगा। - उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित दावा संख्या-। बरकरार है।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए
माना :

1. प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सही थे कि दावा संख्या 2, 3 और 12 के संबंध में दावेदार द्वारा 93.12% के प्रीमियम पर दिया गया दावा केवल अनुमानित लागत एवं अनुबंध राशि के बीच राशि के अंतर के आधार पर उचित नहीं है। हालाँकि, उस परिस्थिति में जब मध्यस्थ ने कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन एकतरफा तरीके से 93.12% के प्रीमियम पर दावा दे दिया था और जब उसे टिकाऊ नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, तो सामान्य परिस्थिति में उचित कदम उठाया जाना चाहिए था। पंचाट को रद्द करना और प्रीमियम का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को मध्यस्थ के पास भेजना, जिस पर अतिरिक्त वस्तुओं के लिए दावा टिकाऊ होगा, विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जहां किया गया अतिरिक्त कार्य गंभीर नहीं था लेकिन भुगतान की दर के लिए प्रीमियम निर्धारित किया जाना था। उक्त पाठ्यक्रम इस स्तर पर भी खुला रहेगा, लेकिन मौजूदा मामले में, दिनांक 05.12.1985 के समझौते के संबंध में दावा अधिनियम, 1940 के तहत था, और मध्यस्थ के समक्ष दावा स्वयं वर्ष 1994 का था। उस पृष्ठभूमि में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किए गए विचार का अवलोकन यह संकेत देगा कि यह उस दावे का उल्लेख नहीं करता है जो लागू प्रीमियम का प्रतिशत निकालने के बाद स्वीकार्य था। यह केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दावा संख्या 2, 3 और 12 पर अतिरिक्त वस्तुओं के संबंध में 93.12% पर प्रीमियम की गणना को अलग रखा गया है। प्रथम अपीलीय न्यायाधीश को स्वीकार्य दावे के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था और उस संबंध में दावे को सिरे से खारिज करने के बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था क्योंकि मामले को मध्यस्थ के पास भेजने का तरीका नहीं अपनाया गया था। दावेदारों द्वारा किए गए पूरे दावे को खारिज करने के बजाय, अतिरिक्त वस्तुओं के लिए प्रीमियम 35.02% पर निर्धारित किया जाना है और उसी के आधार पर दावा दिया जाना आवश्यक है। उस सीमा तक, गणना विपरीत पक्ष द्वारा की जानी है और राशि का भुगतान दावेदार को किया जाना है। उक्त गणना 35.02% प्रीमियम के साथ दावा संख्या 2, 3 और 12 के तहत दर्शाई गई अतिरिक्त वस्तुओं पर की जाएगी। [पैरा 14-16] [838-सी-एच; 839-ए-सी]

2. जहां तक दावा संख्या 8 की बात है, यह दलदल भूमि पर किए गए कार्य से संबंधित है जिसमें मिट्टी दलदली थी और कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी। आक्षेपित पंचाट के माध्यम से मध्यस्थ ने इस पर ध्यान दिया था और उसी आधार पर उक्त कार्य के लिए राशि निर्धारित करने और सहमत दर में कटौती करने के बाद 19,15,143/- रुपये की राशि प्रदान की थी। हालाँकि उप-न्यायाधीश ने इसे 'न्यायालय का नियम' बनाने के लिए स्वीकार कर लिया था, प्रथम अपीलीय न्यायाधीश ने दावे पर नोट लेते हुए इस

निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मध्यस्थ द्वारा दावे को मंजूरी देना उचित नहीं था। उस संबंध में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनुबंध समझौते के खंड 39 पर ध्यान दिया था जिसमें अतिरिक्त वस्तुओं के लिए प्रावधान किया गया था। उसमें दूसरे पैराग्राफ में उस तरीके का प्रावधान किया गया है जिसमें ठेकेदार को अतिरिक्त मदों के लिए दावा किए गए कार्य का रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है। उक्त आवश्यकता में संकेत दिया गया है कि ठेकेदार काम जारी रखने के दौरान हर महीने के 10 वें दिन या उससे पहले कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में अतिरिक्त के लिए दावा किए गए किसी भी काम का विवरण दिखाएगा, और ऐसे दावे में ऐसे कार्य का मूल्य जैसा कि ठेकेदार ने दावा किया है, निहित होगा । यदि विवरण इंगित नहीं किया गया है, तो खंड इंगित करता है कि यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने ऐसे रिटर्न में शामिल नहीं किए गए सभी दावों को माफ कर दिया है और उसे ऐसे किसी भी दावे को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा जो इसमें शामिल नहीं है। इस आलोक में चूंकि दावा अंततः मासिक विवरण में शामिल नहीं पाया गया, प्रथम अपीलीय न्यायालय की राय थी कि अनुबंध की शर्तों की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त राशि के पंचाट को रद्द कर दिया गया। मध्यस्थ द्वारा और उप-न्यायाधीश द्वारा 'न्यायालय के नियम' के दावे को भी खारिज कर दिया गया। मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने माना है कि जहां तक दावा संख्या 8 के तहत मांगी गई राशि का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता ने यह काम किया था, बल्कि यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने अनुबंध के संदर्भ में इस अतिरिक्त राशि के लिए कोई दावा किया था। उच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 39 पर भी ध्यान दिया है और दावे को अस्वीकार कर दिया है। [पैरा 17][839-सी-एच; 840-A]

3. अनुबंध समझौते का खंड 39 निस्संदेह एक ऐसी विधि निर्धारित करता है जिसके द्वारा हर महीने विवरण में दावा प्रस्तुत किया जाना है। उक्त आवश्यकता को समझौते में रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त कार्य वास्तव में किया गया है, दावे को विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि निराधार दावा दूर के समय में न किया जाए जिसको निर्धारित करना संभव नहीं होगा। हालाँकि खंड यह भी इंगित करता है कि यदि ऐसा दावा नहीं किया जाता है, तो यह छूट के बराबर होगा, ऐसी परिस्थिति में जहां दावा अंततः उस मंच पर रखा जाता है जहां निर्णय लिया जाता है और सामग्री के आधार पर यदि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट है कि वास्तविक कार्य किया जा चुका है और ठेकेदार कार्य को उचित तरीके से करने के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि का हकदार है, विशेष रूप से किए गए कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुबंध में दिए गए तरीके से ऐसे दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं होगा कि इसे सख्ती से इंगित नहीं किया गया है। उस सीमित सीमा तक मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मध्यस्थ ने दिनांक 14.11.1986 के पत्र पर विचार किया था जिसमें मिट्टी की पहचान पर सहमति व्यक्त की गई थी। दिनांक 09.03.1987 का पत्र जिसमें अस्तर की पहचान करते हुए परीक्षण परिणाम को दलदल के रूप में संदर्भित किया गया है। मार्च, 1988 के दौरान पूरा किये गये कार्य पर भी ध्यान दिया गया। उस परिस्थिति में जब तथ्य यह है कि दलदल भूमि उस क्षेत्र में स्थित थी, काम किया गया था और अतिरिक्त सामग्री का

उपयोग किया गया था, तो मामले का तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उस संबंध में 1,33,181.00/- घन मीटर के कार्य के लिए अतिरिक्त मद के दावे की गणना सहमत दर के ऊपर 35.02% की समान दर पर प्रीमियम के साथ की जाएगी, न कि 93.12% पर जैसा कि किया गया है। मध्यस्थ द्वारा राशि प्रदान करने के लिए विचार किया गया। हालाँकि, उस संबंध में उचित गणना इस तरह से की जाएगी ताकि उक्त दावा संख्या 8 के तहत राशि प्रदान की जा सके। जहां तक दावा संख्या 16 का सवाल है, उच्च न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा दावा संख्या 18 के तहत मांगे गए ब्याज के संबंध में, ब्याज की दर के संबंध में समझौते के अभाव में, मध्यस्थ द्वारा दिया गया ब्याज अधिक था और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे 12% प्रति वर्ष कम करना उचित था और उच्च न्यायालय का भी इसमें हस्तक्षेप न करना उचित था। [पैरा 18,19][840-बी-एच; 841-ए-बी]

4. दावेदार अतिरिक्त वस्तुओं के लिए दावे का हकदार है जैसा कि दावा संख्या 2, 3, 8 और 12 के तहत निविदा प्रीमियम पर 35.02% की लागत के अंतर की गणना करके दिया गया है। राशि की मात्रा पर पहुंचने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित दावा संख्या 1 कायम है। दावा संख्या 1, 2, 3, 8 और 12 पर दावेदारों को राशि की गणना और भुगतान करने की उक्त प्रक्रिया इस तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विपरीत पक्ष द्वारा पूरी की जाएगी। [पैरा 20][841-ई-एफ]

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम इंडियन कार्बन लिमिटेड (1988) 3 एससीसी 36 : [1988] 3 एससीआर 426; इस्पात इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स, बी.एस. सिटी, बोकारो बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बी.एस. सिटी बोकारो (2001) 6 एससीसी 347: [2001] 3 एससीआर 1190; डी.सी.एम लिमिटेड बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य. (1997) 7 एससीसी 123; मैसर्स नारायणदास आर. इसरानी बनाम भारत संघ डीआरजे (1993) 25: रायपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम मैसर्स चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स एवं अन्य (1989) 2 एससीसी 721 : [1989] 3 एससीआर 144: गोरा लाल बनाम भारत संघ (2003) 12 एससीसी 459: [2003] 6 पूरक एससीआर 1129 का उल्लेख किया गया है।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1988] 3 एससीआर 426	संदर्भित	पैरा 10
[2001] 3 एससीआर 1190	संदर्भित	पैरा 10
(1997) 7 एससीसी 123	संदर्भित	पैरा 10
[1989] 3 एससीआर 144	संदर्भित	पैरा 11
[2003] 6 पूरक एससीआर 1	संदर्भित	पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की सिविल अपील संख्या 867-8701

2008 की सिविल अपील संख्या 2958-2961 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.04.2011 से।

नकुल देवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदित्य स्वरूप, अजय मारवाह, रोहन नाइक, स्वरूपानन्द मिश्रा, मुकेश संग्वन, आवेदक के ओर से अधिवक्तागण।

श्रीमती उत्तरा बब्बर, श्रीमती भावना दुहून, मनन बंसल, विपक्षीगण के ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था।

ए.एस. बोपन्ना, जे.

1. अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिवीजन नंबर 2958/2008 में पारित दिनांक-०८-०४-२०११ के आदेश की आलोचना कर रहा है जिसे 2008 के सिविल रिवीजन नंबरों 2949, 2960 और 2961 को साथ निपटाया गया था। उक्त आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को संशोधित करके अपीलकर्ता के दावा संख्या 1 को अनुमति देने की हद तक संशोधन की अनुमति दी, लेकिन जहां तक शेष दावों का सवाल है प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पुष्टि की गई। परिणामस्वरूप, मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय उस सीमा तक संशोधित हो गया। इसलिए, अपीलकर्ता इस हद तक व्यथित है कि अपीलकर्ता का शेष दावा खारिज कर दिया गया। उस दृष्टि से वतर्मान अपील दावा संख्या 2, 3, 8, 12 और 16 से संबंधित है और ब्याज अनुदान से संबंधित मुद्दा भी है जो दावा संख्या 19 के तहत विचार के लिए उठाया गया था।

2. सुविधा और स्पष्टता के उद्देश्य से पार्टियों को मध्यस्थता कार्यवाही में उन्हें सौंपी गई पद में संदर्भित किया जाएगा। तदनुसार, यहां अपीलकर्ता को दावेदार के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जबकि उत्तरदाताओं को विपरीत पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. विचाराधीन कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में 'अधिनियम 1940') के तहत पारित एक पंचाट से संबंधित है। दावेदार और विपक्षी पक्ष ने सतलुज यमुना लिंक नहर (पंजाब) के निर्माण के लिए दिनांक 05.02.1985 में एक अनुबंध समझौता किया था और उस संबंध में रायच आरडी 71.50 से लेकर 72.50 कि.मी. अस्तर के पीछे मिट्टी, जल निकासी और सीमेंट कंक्रीट अस्तर का काम करने के लिए अनुबंध तय किया था। परियोजना की अनुमानित लागत 31 लाख रुपये थी और कार्य के लिए अनुबंध राशि 59,86,732/-रुपये तय की गई थी। संबंधित कार्य को आठ माह में निष्पादित करना था.।

4. उक्त अनुबंध के संबंध में, दावेदार ने तर्क दिया कि निष्पादन के दौरान, मिट्टी के काम में पर्याप्त वृद्धि, किनारों की ढलान, स्व-निकासी सामग्री के साथ किनारों के पुनर्निर्माण, विभाग द्वारा

गलत भूवैज्ञानिक डेटा अवलोकन के कारण किनारों के पुनर्निर्माण और उत्खनन के दौरान आने वाले स्तर में परिवर्तन के संबंध में विभाग द्वारा विभिन्न निर्णयों के कारण निविदा आमंत्रित करने से पहले कार्य का दायरा काफी बढ़ गया था। उस दृष्टिकोण से, दावेदार ने अतिरिक्त भुगतान की मांग उठाई थी, जिस पर विपरीत पक्ष ने विवाद किया, जिसके कारण मध्यस्थ विवाद हुआ। चूंकि समझौते में मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान का प्रावधान था, इसलिए दावेदार ने उसी का सहारा लिया। उस पृष्ठभूमि में दावेदार ने मध्यस्थ के समक्ष दायर दावा विवरण में अतिरिक्त भुगतान की मांग की थी। विरोधी पक्ष ने दावेदार द्वारा प्रस्तुत दावे पर विवाद करते हुए अपनी आपत्तियां दायर कीं। प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करने के बाद विद्वान मध्यस्थ ने दिनांक 31.08.1994 को निर्णय पारित किया और दावेदार द्वारा दावा की गई राशि को पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज के साथ-साथ 18% पर भविष्य के ब्याज के साथ विपरीत पक्ष द्वारा भुगतान करने का फैसला सुनाया। जैसा कि अधिनियम, 1940 के तहत अपेक्षित था, उक्त पंचाट को 'न्यायालय का नियम' बनाया जाना था, जिसके लिए यह पंचाट वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोपड़ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विपक्षी ने उक्त कार्यवाही पर आपत्तियां दर्ज कीं और तर्क दिया कि मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय मध्यस्थ के रूप में टिकाऊ नहीं है।

मध्यस्थ ने अनुबंध के अनुसार जो राशि देय नहीं थी, उसे देकर स्वयं कदाचार किया था और विद्वान मध्यस्थ ने निर्णय के कारणों का संकेत नहीं दिया था। विद्वान उप-न्यायाधीश ने दिनांक 21.10.1995 के फैसले और डिक्री के माध्यम से दावा संख्या 1 की अस्वीकृति और प्रति वर्ष 12% ब्याज की कटौती की सीमा तक आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और अन्य मामलों में पंचाट को 'न्यायालय का नियम' बना दिया गया।

5. हालाँकि, विरोधी पक्ष अन्य दावों के संबंध में गैर-हस्तक्षेप के कारण व्यथित रहा और इसलिए, 2006 की सिविल अपील संख्या 9/3110 में जिला न्यायाधीश, रोपड़ के समक्ष अपील दायर की। दावेदार ने क्रॉस अपील को प्राथमिकता दी । जहाँ तक विद्वान उप-न्यायाधीश द्वारा दावा संख्या 1 की अस्वीकृति और ब्याज में कमी की अपील है, विद्वान जिला न्यायाधीश ने दिनांक 06.11.2007 के फैसले के माध्यम से दावेदार द्वारा दायर क्रॉस अपील को खारिज कर दिया और विपरीत पक्ष (पंजाब राज्य) द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और दावा संख्या 2, 3, 8, 12 एवं 16 के तहत दी गई राशि को अलग कर दिया। इसलिए, दावेदार ने व्यथित होने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। उक्त कार्यवाही में उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए अनुसार दावा संख्या 1 को छोड़कर शेष दावा को खारिज कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में दावेदार इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

6. दावेदार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवान तर्क देंगे कि प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को अस्वीकार करने के अपने निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराया था। यह तर्क दिया गया है कि, जिस आधार पर दावा संख्या 2 विचार के लिए आएगा, वही आधार दावा संख्या 3 और 12 के तहत राशि के पंचाट के

लिए होगा। यहां तक कि जहां तक दावा संख्या 8 की बात है तो अतिरिक्त राशि के भुगतान की गणना उपयोग की गई अतिरिक्त वस्तुओं के आधार पर की जाएगी। उस पृष्ठभूमि में, यह तर्क दिया गया है कि काम की अनुसूची के नोट 6 के तहत जो अनुबंध का एक हिस्सा है, यह प्रावधान करता है कि काम की अतिरिक्त या अन्य वस्तुओं का भुगतान संबंधित पंजाब कॉमन शेड्यूल के आधार पर एवं निविदा के समय स्वीकृत प्रीमियम, जिस पर काम किया जाना है, के दर पर किया जाएगा। उस आलोक में यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान अनुबंध की अनुमानित लागत 31 लाख रुपये है जबकि अनुबंध राशि 59,86,732/- रुपये आंकी गई है। अनुमानित लागत और अनुबंध राशि के बीच का अंतर स्वीकृत प्रीमियम है जो अतिरिक्त वस्तुओं/मात्रा या किए गए कार्य की दरों की गणना के उद्देश्य से कार्य पर 93.12% के समग्र प्रीमियम के अनुरूप है। जहां तक शेष दावा है उस पर भी उक्त 93.12% लागू हो जाएगा। उस परिस्थिति में जब विद्वान मध्यस्थ ने इस पहलू पर ध्यान दिया है और दावा संख्या 2 पर निर्णय लिया है, तो वही टिकाऊ होगा। यह तर्क दिया जाता है कि जब अनुबंध समझौता स्पष्ट है, जहां तक मूल्य और स्वीकृत प्रीमियम का अंतर है और प्रतिशत 93.12% पर स्पष्ट है, तो विद्वान मध्यस्थ का निर्णय, पंचाट में कोई और कारण नहीं बताना घातक नहीं होगा। जब विद्वान मध्यस्थ द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया था, तो अंततः दी गई राशि टिकाऊ है और दावेदार द्वारा लगाया गया दावा उचित है।

7. दूसरी ओर, विपरीत पक्ष (पंजाब राज्य) की विद्वान वकील सुश्री उत्तरा बब्बर का तर्क है कि विद्वान मध्यस्थ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया है कि 93.12% पर किया गया दावा स्वीकार्य है। इस संबंध में विद्वान वकील अनुबंध के खंड 63 का उल्लेख करेंगे जो विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का प्रावधान करता है। विद्वान मध्यस्थ को नियुक्त करने के तरीके का उल्लेख करने के बाद उक्त खंड में यह आवश्यकता निर्दिष्ट की गई है कि सभी पंचाट लिखित रूप में होंगे और राशि के मामले में रुपये की राशि होगी। 1 लाख और उससे अधिक, ऐसे पंचाट में प्रदान की गई राशि का कारण बताया जाएगा। उस परिस्थिति में यह तर्क दिया जाता है कि, जब पार्टियों के बीच अनुबंध उस तरीके के संबंध में स्पष्ट होता है जिसमें नामांकित मध्यस्थ द्वारा एक पंचाट पारित किया जाना है, तो केवल इस तरह से पारित किया गया निर्णय टिकाऊ होगा। इस आलोक में यह तर्क दिया गया है कि मौजूदा मामले में दावा संख्या 2 का उत्तर देते समय पंचाट कारण नहीं बताता है, जिसमें केवल यह कहा गया है कि समझौते के अनुसार प्रीमियम 93.12% बनता है और कारण बताए बिना ही पंचाट दिया गया है। ऐसे निष्कर्ष के लिए उस दृष्टि से यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा पंचाट टिकाऊ नहीं होगा। विद्वान वकील ने निविदा प्रपत्र (अनुलग्नक पी2) में निर्माण के लिए थ्रू दर मदों की अनुसूची का उल्लेख किया है, जिसमें नोट 6 निर्दिष्ट करता है कि इसमें पंजाब राज्य की सामान्य दरों की अनुसूची लागू होगी। यह तर्क दिया गया है कि कार्यकारी अभियंता द्वारा दावेदार को संबोधित दिनांक 05.01.1987 के संचार के अनुसार, यह इंगित करता है कि विभागीय दरों से ऊपर का प्रतिशत 35.02% स्वीकृत किया गया है। उस प्रकाश में यह तर्क दिया गया है कि किसी भी स्थिति में दावे की गणना इससे अधिक नहीं हो सकती है। उस दृष्टिकोण से यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान मध्यस्थ ने इन पहलुओं पर विचार नहीं किया था और न ही पंचाट उसके मन का संकेत देता है। दूसरी ओर,

विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा इसे नोट कर इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि इसमें हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है । अतिरिक्त भुगतान से संबंधित दावा संख्या 8 के संबंध में दलदल (SWAMPYA क्षेत्र) के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि दावा प्रदान किए गए समय के भीतर नहीं किया गया था और तदनुसार दावे को खारिज कर दिया है। उस दृष्टिकोण में यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त के आलोक में, अपील पत्रों के अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि निर्माण के लिए किए गए अनुबंध, किए गए कार्य और किए गए कुछ अतिरिक्त कार्यों के संबंध में पार्टियों के बीच कोई गंभीर विवाद नहीं है। हालाँकि, मुद्दा यह है कि क्या विद्वान मध्यस्थ ने मामले पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से विचार किया था और उस प्रकाश में क्या 93.12% के प्रीमियम पर राशि का पंचाट उचित होगा और विद्वान मध्यस्थ द्वारा बिना कारण बताए विचार करने का तरीका उचित होगा क्योंकि उनका पुरस्कार टिकाऊ है। उस दृष्टि से मुद्दा यह होगा कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार द्वारा उठाए गए दावे को खारिज करना उचित था।

9. इन पहलुओं पर विचार करते समय यह देखा गया है कि जैसा कि विपरीत पक्ष के विद्वान वकील द्वारा बताया गया है, अनुबंध का खंड 63 जो पक्षकारों के बीच सभी विवादों या मतभेदों की मध्यस्थता का प्रावधान करता है, वह भी पंचाट की आवश्यकता को निम्नानुसार इंगित करता है:

"सभी पंचाट लिखित रूप में होंगे और 1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के पुरस्कारों के मामले में, ऐसे पंचाटों में दी गई राशि का कारण बताया जाएगा।"

इसे ध्यान में रखते हुए, यदि विद्वान मध्यस्थ द्वारा तत्काल मामले में पारित निर्णय (अनुलग्नक पी 6) जहां तक दावा संख्या 2 का अवलोकन किया जाता है, तो विद्वान मध्यस्थ ने जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है:

"समझौते के अनुसार प्रीमियम 93.12% बनता है जो प्रदान किया जाता है।"

10. उचित विचार के बिना दावा संख्या 2 पर उक्त निष्कर्ष दावा संख्या 3 और 12 के संबंध में भी 93.12% प्रीमियम की गणना का आधार है। दावेदार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील देते हुए कि यह पंचाट उस परिस्थिति में भी कायम रहेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम इंडियन कार्बन लिमिटेड (1988) 3 एससीसी 36 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है एवं तर्क दिया है कि इसमें यह संकेत दिया गया है कि यदि मध्यस्थ ने कैसे निष्कर्ष निकाला है इसका कारण स्पष्ट है तो वही पर्याप्त होगा। इस्पात इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स, बी.एस. सिटी, बोकारो बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बी.एस. सिटी बोकारो (2001) 6 एससीसी 347 के मामले में फैसला पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि इस घटना में, हालांकि, कारण हैं, तब भी हस्तक्षेप उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि निश्चित रूप से,

पंचाट में पूरी तरह से विकृति मौजूद न हो या कानून के गलत प्रस्ताव पर निर्णय आधारित न हो। इसके अलावा, डी.सी.एम. लिमिटेड बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य के मामले में निर्णय (1997) 7 एससीसी 123 पर यह दावा करने के लिए भरोसा किया गया है कि गैर-बोलने वाले पंचाट के मामले में भी यदि मध्यस्थ अनुबंध की किसी भी शर्त को नजरअंदाज किए बिना आगे बढ़ा है, तो इसे पंचाट के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमें समझाने के प्रयास में विद्वान वरिष्ठ वकील ने अनुमति के साथ मेसर्स नारायणदास आर. इसरानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डीआरजे (1993) 25 के मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है। एक समान खंड वाले एक समझौते के संबंध में विद्वान न्यायाधीश ने माना था कि विद्वान मध्यस्थ को सिविल न्यायालय की तरह विस्तृत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मध्यस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपनी विचार प्रक्रिया की प्रवृत्ति बतानी चाहिए और यह है मध्यस्थ के लिए कोई अंकगणितीय गणना देना आवश्यक नहीं है।

11. हाँलाकि विपरीत पक्ष के लिए विद्वान वकील इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में उसी निर्णय की ओर इशारा करेंगे, जिस पर दावेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया था कि इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह भी माना है कि जहां एक प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक कार्य के अभ्यास में एक आदेश देता है, उसे अपने आदेश के समर्थन में अपने कारणों को दर्ज करना होगा। आगे यह देखा गया कि प्रत्येक अर्ध-न्यायिक आदेश को कारणों से समर्थित होना चाहिए इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि न्यायिक आदेश के लिए बाधाएं ऊंची हो जाएंगी, जिसमें निष्कर्ष के कारणों का संकेत होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता आगे रायपुर विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम मैसर्स चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स एवं अन्य (1989) 2 एससीसी 721के मामले में निर्णय का उल्लेख करेंगे जिसमें यह माना जाता है कि हालांकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी पंचाट को न तो माफ किया जा सकता है और न ही केवल इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि इसमें निष्कर्ष या निर्णय के समर्थन में कारण शामिल नहीं हैं, सिवाय इसके कि जहां मध्यस्थता हो समझौते या प्रस्तुत करने के विलेख में कारण बताने की आवश्यकता होती है। उस प्रकाश में विद्वान अधिवक्ता यह इंगित करेंगे कि तत्काल मामले में पार्टियों के बीच समझौते के लिए आवश्यक होगा कि विद्वान मध्यस्थ को पंचाट के लिए कारण बताना होगा और जब ऐसी आवश्यकता निर्धारित की जाती है तो बिना कारण के पारित पंचाट अनुबंध में स्पष्ट आवश्यकता के विपरीत होने के कारण पार्टियों के बीच टिकाऊ नहीं होगा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे गोरा लाल बनाम भारत संघ (2003) 12 एससीसी 459 के मामले में निर्णय का उल्लेख किया गया है जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:

"6. उपरोक्त खंड के अवलोकन से पता चलता है कि मध्यस्थ को विवाद के प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु पर अलग से दी गई राशि के साथ एक निष्कर्ष को इंगित करना आवश्यक है। एक निष्कर्ष देते समय, मध्यस्थ को आवश्यक रूप से विवादों को ध्यान में रखना होगा, पार्टियों के दावे और प्रतिदावे और ऐसे दावों और कानूनी स्थिति पर सबूतों पर विचार करने के बाद, प्रत्येक विवादित वस्तु पर अपने निष्कर्ष को अंकित करना होगा। वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि

प्रत्येक वस्तु पर मध्यस्थ ने एक राशि का फैसला किया है जिसके अनुसार हमारे लिए यह कोई खोज नहीं है बल्कि महज़ एक निष्कर्ष है । "

12. प्रस्तुत किए गए विवादों की पृष्ठभूमि में और जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनमें बताई गई कानूनी स्थिति से, स्थिति स्पष्ट है कि तत्काल तथ्यों में पार्टियों के बीच समझौते के लिए विद्वान मध्यस्थ को एक विशेष तरीके से पंचाट पारित करने की आवश्यकता होती है, जिसके तहत कारण बताए गए हैं जिसे सौंपा जाना आवश्यक था क्योंकि यह अनुबंध के तहत स्पष्ट आवश्यकता थी। यदि उस पृष्ठभूमि में तत्काल कार्यवाही में दिए गए फैसले पर ध्यान दिया जाता है, तो ध्यान दें कि विद्वान मध्यस्थ ने दावा संख्या 2 पर पहुंचे निष्कर्ष के लिए कोई कारण नहीं बताया है, जो दावा संख्या 3 और 12 पर विचार करने के लिए भी प्रासंगिक था। यदि यही स्थिति है तो दावेदार के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा रखा जाने वाला एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि इस तरह के निष्कर्ष का आधार अनुमानित राशि 31 लाख रुपये और अनुबंध राशि के बीच मूल्य का अंतर है। प्रीमियम निकालने के लिए रु. 59,86,732/- उचित नहीं होगा। अनुमानित लागत के मुकाबले अनुबंध राशि की मात्रा अपने आप में दावे को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकती थी, जैसा कि दावेदार ने अतिरिक्त वस्तुओं के प्रीमियम, आपूर्ति के लिए अतिरिक्त वस्तुओं और स्व-निकासी सामग्री बिछाने और मिट्टी के काम का पुनः हैंडलिंग के लिए किया था। उस संबंध में विपरीत पक्ष द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी तर्क यह था कि नोट 6 के तहत उस पहलू के लिए निविदा प्रपत्र प्रदान किया गया था, जो इस प्रकार है:

"कार्य की प्रत्येक ऐसी वस्तु के लिए अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का भुगतान प्रासंगिक पंजाब सामान्य दरों की अनुसूची के तहत निर्धारित दर के आधार पर, संपूर्ण दर तैयार की गई दरों की अनुसूची के आधार पर एवं निविदा के समय स्वीकृत प्रीमियम (उस समय), प्लस या माइनस प्रतिशत ऊपर या नीचे निकाला गया विभाग द्वारा विभाग की अनुमानित लागत के संदर्भ में किया जाएगा।

13. उक्त प्रावधान इंगित करेगा कि पंजाब राज्य के सामान्य दरों की अनुसूची के तहत निर्धारित दर लागू होगी। उस प्रकाश में यह देखा गया है कि दिनांक 05.01.1987 के जिस पत्र पर विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था, जो दावेदार को संबोधित था, यह दर्शाता है कि अनुसूची के तहत सहमति के अनुसार प्रीमियम 35.02% है। विपक्षी पक्ष द्वारा अपनी दलीलों में उक्त तर्क का आग्रह किया गया था। वास्तव में, जैसा कि विपरीत पक्ष के विद्वान वकील ने बताया, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस पहलू पर ध्यान दिया है और अतिरिक्त कार्य के लिए 93.12% प्रीमियम के पंचाट को अस्वीकार करने के अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है।

14. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम उस तरीके से पूरी तरह सहमत हैं जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया गया था कि दावा संख्या 2, 3 एवं 12 के संबंध में दावेदार द्वारा दावा किया गया था जिसमें 93.12% प्रीमियम पर केवल अनुमानित लागत एवं अनुबंध राशि के बीच अंतर के आधार पर गणना करना उचित नहीं है। हालाँकि, इस परिस्थिति में जब विद्वान मध्यस्थ ने कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन

एकतरफा तरीके से 93.12% के प्रीमियम पर दावा दे दिया था और जब उसे टिकाऊ नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था, तो सामान्य परिस्थिति में उचित कदम उठाया जाना चाहिए। पंचाट को रद्द कर दिया गया है और मामले को विद्वान मध्यस्थ को भेज दिया गया है ताकि प्रीमियम का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए नए सिरे से विचार किया जा सके जिस पर अतिरिक्त वस्तुओं के लिए दावा टिकाऊ होगा, विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जहां अतिरिक्त कार्य किया गया था गंभीर विवाद में नहीं लेकिन भुगतान की दर के लिए प्रीमियम निर्धारित किया जाना था।

15. उक्त पाठ्यक्रम इस स्तर पर भी खुला रहेगा, लेकिन वर्तमान मामले में हम ध्यान देते हैं कि दावा दिनांक 05.12.1985 के एक समझौते के संबंध में अधिनियम, 1940 के तहत था और मध्यस्थ के समक्ष दावा स्वयं वर्ष 1994 का था। उस पृष्ठभूमि में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किए गए विचार के अवलोकन से संकेत मिलता है कि यह उस दावे का उल्लेख नहीं करता है जो लागू प्रीमियम का प्रतिशत निकालने के बाद स्वीकार्य था। यह केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दावा संख्या 2, 3 और 12 पर अतिरिक्त वस्तुओं के संबंध में 93.12% पर प्रीमियम की गणना को अलग रखा गया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायाधीश को स्वीकार्य दावे के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था और उस संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था। मामले को रिमांड पर लेने के बाद से मध्यस्थ को नहीं अपनाया गया एवं दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया ।

16. उस पृष्ठभूमि में चूंकि हमने दिनांक 05.01.1987 के संचार का उल्लेख किया है, जो अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ अनुबंध आर 3 में प्रस्तुत किया गया है और साथ ही काम की जाने वाली प्रीमियम दरों के संबंध में विपरीत पक्ष द्वारा आग्रह किए गए विवाद को भी ध्यान में रखा गया है। 35.02% पर, हमारी राय है कि दावेदारों द्वारा किए गए पूरे दावे को खारिज करने के बजाय, अतिरिक्त वस्तुओं के लिए प्रीमियम 35.02% पर निर्धारित किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर दावा दिया जाना आवश्यक है। उस सीमा तक, गणना विपरीत पक्ष द्वारा की जानी है और राशि का भुगतान दावेदार को किया जाना है। 35.02% प्रीमियम के साथ उक्त गणना दावा क्रमांक 2, 3 और 12 के तहत दर्शाई गई अतिरिक्त वस्तुओं के संबंध में की जाएगी।

17. जहां तक दावा संख्या 8 की बात है, यह दलदल भूमि पर किए गए कार्य से संबंधित है जिसमें मिट्टी दलदली थी और कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी। आक्षेपित पंचाट के माध्यम से विद्वान मध्यस्थ ने इसे नोट कर लिया था और उसी आधार पर उक्त कार्य के लिए राशि निर्धारित करने और सहमत दर में कटौती करने के बाद 19,15,143/- रुपये की राशि प्रदान की थी। यद्यपि विद्वान उप-न्यायाधीश ने इसे 'न्यायालय का नियम' बनाने के लिए स्वीकार कर लिया था, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायाधीश ने दावे पर ध्यान देते हुए निष्कर्ष निकाला था कि विद्वान मध्यस्थ का दावा स्वीकार करना उचित नहीं था। उस संबंध में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनुबंध समझौते के खंड 39 पर ध्यान दिया था जिसमें अतिरिक्त वस्तुओं के लिए प्रावधान किया गया था। उसमें दूसरे पैराग्राफ में उस तरीके का प्रावधान किया गया है जिसमें ठेकेदार को अतिरिक्त मदों के लिए दावा किए गए कार्य का रिटर्न जमा करने

की आवश्यकता होती है। उक्त आवश्यकता में संकेत दिया गया है कि ठेकेदार काम जारी रखने के दौरान हर महीने के 10 वें दिन या उससे पहले कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में अतिरिक्त के लिए दावा किए गए किसी भी कार्य का विवरण दिखाएगा, और ऐसे रिटर्न में ऐसे कार्य का मूल्य जैसा कि ठेकेदार ने दावा किया है, यह भी शामिल होगा । यदि विवरण इंगित नहीं किया गया है, तो खंड इंगित करता है कि यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने ऐसे रिटर्न में शामिल नहीं किए गए सभी दावों को माफ कर दिया है और उसे ऐसे किसी भी दावे को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा जो इसमें शामिल नहीं है। इस आलोक में चूंकि दावा अंततः मासिक विवरण में शामिल नहीं पाया गया, प्रथम अपीलीय न्यायालय की राय थी कि अनुबंध की शर्तों की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त राशि के पंचाट को विद्वान मध्यस्थ द्वारा रद्द कर दिया गया और इसी दावे में विद्वान उप-न्यायाधीश द्वारा बनाए गए 'न्यायालय का नियम' को भी हटा दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पैरवी करते हुए मामले के पहलू में यह माना गया है कि जहां तक दावा संख्या 8 के तहत मांगी गई राशि का सवाल है, दावा संख्या 8 में सवाल यह नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता ने यह काम किया, बल्कि यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने अनुबंध के संदर्भ में इस अतिरिक्त राशि के लिए कोई दावा किया है। उच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 39 पर भी ध्यान दिया है और दावे को अस्वीकार कर दिया है।

18. उस पृष्ठभूमि में अनुबंध समझौते के खंड 39 को ध्यान में रखते हुए, इसे सभी परिस्थितियों में दावे के लिए वैधानिक सीमा या बाधा नहीं माना जा सकता है। उक्त खंड निस्संदेह एक विधि निर्धारित करता है जिसके द्वारा हर महीने कथन में दावा प्रस्तुत किया जाना है। उक्त आवश्यकता को समझौते में रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अतिरिक्त कार्य वास्तव में किया गया है, दावे को विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि निराधार दावा दूर के समय में न किया जाए जब इसे निर्धारित करना संभव नहीं होगा। हालाँकि खंड यह भी इंगित करता है कि यदि ऐसा दावा नहीं किया जाता है, तो यह छूट के बराबर होगा, ऐसी परिस्थिति में जहां दावा अंततः उस मंच पर रखा जाता है जहां निर्णय लिया जाता है और सामग्री के आधार पर यदि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट है कि वास्तविक कार्य किया गया था और ठेकेदार उचित तरीके से कार्य करने के लिए उसके द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त राशि का हकदार है, विशेष रूप से किए गए कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुबंध में दिए गए तरीके से ऐसे दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं होगा कि इसे सख्ती से इंगित नहीं किया गया था। उस सीमित सीमा तक विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि मध्यस्थ ने दिनांक 14.11.1986 के पत्र पर विचार किया था जिसमें मिट्टी की पहचान पर सहमति व्यक्त की गई थी। दिनांक 09.03.1987 के पत्र में सामने आए स्तर को दलदल के रूप में पहचानने वाले परीक्षण परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। मार्च, 1988 के दौरान पूरा किये गये कार्य पर भी ध्यान दिया गया। उस परिस्थिति में जब तथ्य यह है कि दलदल भूमि क्षेत्र में स्थित थी, काम किया गया था और अतिरिक्त सामग्री का उपयोग किया गया था, हमारी राय में मामले के तकनीकी दृष्टिकोण को अपनाते हुए दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उस संबंध में 1,33,181.00/-"घन मीटर" के कार्य के लिए अतिरिक्त मद के

दावे की गणना सहमत दर के ऊपर 35.02% की समान दर पर प्रीमियम के साथ की जाएगी, न कि 93.12% पर जैसा कि किया गया है। राशि देने के लिए विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार किया गया है। हालांकि उस संबंध में उचित गणना इस तरह से किया जाए ताकि उक्त दावा संख्या 8 के तहत राशि प्रदान की जा सके।

19. जहां तक दावा संख्या 16 की बात है तो हमें इसमें उच्च न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। आगे, दावा संख्या 18 के तहत मांगे गए ब्याज के संबंध में हमारी राय है कि ब्याज दर के संबंध में समझौते के अभाव में, विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिया गया ब्याज उच्च स्तर पर था और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे घटाकर 12% प्रति वर्ष करना उचित था और उच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें हस्तक्षेप न करने को उचित ठहराया गया।

20. जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अकारण दिए गए फैसले को रद्द किए जाने पर पहले ही ऊपर संकेत दिया जा चुका है, सामान्य परिस्थिति में मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने के लिए विद्वान मध्यस्थ को सौंप दिया जाना चाहिए था। ऐसा रास्ता हमें भी अपनाना चाहिए था। हम समय चूक को ध्यान में रखते हुए दावे की वैधता के संबंध में मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़े थे और चूंकि दावे की वैधता उचित प्रीमियम पर ध्यान दी जानी थी, यदि प्रीमियम का प्रतिशत 93.12% नहीं था, जैसा कि विद्वान मध्यस्थ के द्वारा निर्धारित किया गया था। दावे से संबंधित हमारे निष्कर्ष को 35.02% के प्रीमियम पर हमारे द्वारा बताई गई सीमा तक टिकाऊ होने के मद्देनजर, दावा संख्या 2, 3, और 12 के तहत सीमा और अतिरिक्त वस्तुओं के माप के आधार पर गणना की जाती है। एक अभ्यास जो यहां नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार विपरीत पक्ष यहां दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उस सीमा, माप, मात्रा और कीमत के संबंध में देय वास्तविक राशि की गणना करेगा जिसके आधार पर दावा किया गया है। इस संबंध में हम मानते हैं कि दावेदार अतिरिक्त वस्तुओं के लिए दावे का हकदार है जैसा कि दावा संख्या 2, 3, 8 और 12 के तहत निविदा प्रीमियम पर 35.02% की लागत के अंतर की गणना करके दिया गया है। राशि की मात्रा पर पहुंचने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित दावा संख्या 1 कायम है। दावा संख्या 1, 2, 3, 8 और 12 पर दावेदारों को राशि की गणना और भुगतान करने की उक्त प्रक्रिया इस तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विपरीत पक्ष द्वारा पूरी की जाएगी। उक्त अवधि से अधिक भुगतान में देरी होने की स्थिति में, भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज लगेगा।

21. परिणाम में हम निम्नलिखित पारित करते हैं:

<u>आदेश</u>

(i) प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 06.11.2007 एवं उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण वाद संख्या- 2958/2008 दिनांक 08.04.2011 संशोधित किये जाते हैं।

(ii) यह आदेश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत दावा संख्या 1 के अलावा, दावेदार, दावा संख्या 2, 3, 8 और 12 के तहत राशि का भी हकदार है, हालांकि, प्रीमियम पर गणना 35.02% की दर से की जाएगी। इसकी गणना 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ की जाएगी और इस तिथि से छह सप्ताह में भुगतान किया जाएगा, ऐसा न करने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(iii) तदनुसार, अपील को व्यय सहित आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

(iv) रजिस्ट्री को ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार डिक्री/पंचाट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है।

(v) यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उसका भी निपटारा कर दिया गया।

देविका गुजराल अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

मेरे द्वारा रूपांतरित किया गया।

कमलेश चन्द्र मिश्र
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-६
सह विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट,
पटना।